TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by section 4-B of the Rajasthan Motor Vehicles Taxation Act, 1951 (Act No. 11 of 1951), the State Government hereby, with effect from 01.04.2016, makes the following amendments in this department's notification number F.6(179)Pari/Tax/Hqrs/95/11K, as amended from time to time, dated 31.03.2006, namely: -

AMENDMENT

In the said notification,-

- (i) in the existing clause (4) of proviso appearing below the table, for the existing expression "Rs. 25,000", the expression "Rs. 32,000" shall be substituted;
- (ii) after the existing clause (7) of proviso appearing below the table, the following new clauses shall be added, namely:-
 - "(8) the Motor Vehicle specified in sub-clauses (v), (vi), (vii) or (viii) of clause 2 of the table and plying exclusively under a non-temporary fix contract with any industrial or commercial entity, the Special Road Tax shall be payable at the rate of 50 % of the rate as mentioned against each in column number 2, subject to a maximum of Rupees 12,500/- per month.
 - (9) if any vehicle, specified in clause (8) of proviso is found plying without appropriate permit they shall be liable to pay tax two times of tax as specified in clause (4) of this proviso for such vehicle."

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/11N] By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

परिवहन विभाग अधिसूचना जयपुर, मार्च ०८, २०१६

राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम सं. 11) की धारा 4-ख द्वारा प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक एफ. 6(179)परि/टैक्स /एचक्यू/95/11के दिनांक 31.03.2006 में इसके द्वारा दिनांक 01.04.2016 से निम्निलिखत संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) सारणी के नीचे आये परन्तुक के विद्यमान खण्ड (4) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''25,000 रु.'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''32,000 रु.'' प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (ii) सारणी के नीचे आये परन्तुक के विद्यमान खण्ड (7) के पश्चात्, निम्नलिखित नये खण्ड जोड़े जार्येंगे, अर्थात् :-
 - "(8) सारणी के खण्ड (2) के उप-खण्ड (v), (vi), (vii) या (viii) में विनिर्दिष्ट और किसी औद्योगिक या वाणिज्यिक संस्था के साथ गैर-अस्थायी नियत संविदा के अधीन अनन्य रूप से चलने वाले मोटर यानों पर विशेष सड़क कर स्तम्भ संख्यांक 2 में प्रत्येक के सामने यथा वर्णित दर की 50 प्रतिशत की दर पर, अधिकतम 12,500/- रु. प्रतिं मास के अध्यधीन रहते हुए, संदेय होगा;
 - (9) परन्तुक के खण्ड (8) में विनिर्दिष्ट कोई यान यदि समुचित परिमट के बिना चलते हुए पाया जाता है तो वे खण्ड (4) में यथा विनिर्दिष्ट कर का दो गुना संदाय करने का दायी होगा।"

[सं.एफ.६(१७९)परि/टैक्स/एचक्यू/९५/११एन] राज्यपाल के आदेश से,

> डॉ. मनीषा अरोड़ा, संयुक्त शासन सचिव